पर्यावरण सामाजिक सुशासन (ईएसजी) नीति

जून 2026

"यह दस्ता वेज भारतीय जीवन बीमा निगम की संपत्तिि है। इस दस्ता्वेज को इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी या किसी अन्यत माध्यवम से उद्धृत, पुनरूत्पा्दित या प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। दस्ताॉवेज अथवा इसकी सामग्री का का कोई भी अनधिकृत उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है।''

ईएसजी दस्तावेज क्र.4 – परिवर्तन का इतिहास

दस्तावेज़ सं.	संशोधन की प्रकृति	स्वीकृति तिथि
4.0	बोर्ड द्वारा स्वीकृत	24-06-2026

1. नीति विवरण 4
2. ईएसजी विजन 4
3. उद्देश्य एवं लक्ष्य 4
4. कार्यक्षेत्र एवं प्रयोज्यता 4
5. नियामकीय अनुरूपता 4
6. ईएसजी शासन व्य4वस्था.. 4
7. ईएसजी के स्तंनभ एवं रणनीतिक प्रतिबध्दईताएं................................ Error! Bookmark not defined.
7.1 पर्यावरणीय उत्तरदायित्वि.. **Error! Bookmark not defined.**
7.2 सामाजिक उत्तउरदायित्वि.. **Error! Bookmark not defined.**
7.3 शासन व्यतवस्थाद एवं नैतिक आचरण.. **Error! Bookmark not defined.**
8. ईएसजी का एकीकरण एवं सक्षमीकरण .... Error! Bookmark not defined.
9. प्रदर्शन की निगरानी एवं प्रकटीकरण 6
10. क्षमता निर्माण एवं जागरूकता .... Error! Bookmark not defined.
11. समीक्षा एवं संशोधन .... Error! Bookmark not defined.
12. विभागवार प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) तथा 10 वर्षों के लिए केपीआई प्राप्ति हेतु कार्ययोजना... Error! Bookmark not defined.
13. निष्कर्ष 16

1. नीति विवरण

भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी), भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी और राष्ट्री□य महत्वं कासार्वजनिक क्षेत्र का एक संस्थान होने के नाते, ज़िम्मेदार, नैतिक और निरंतर तरीके से अपना व्यवसाय संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जीवन बीमा निगम यह मानता है कि पर्यावरणीय, सामाजिक एवं सुशासन (ESG) से संबंधित विचार दीर्घकालिक मूल्य सृजन, वित्तीय सुदृढ़ता, जोखिम प्रबंधन तथा हितधारकों के विश्वास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

यह ईएसजी नीति एलआईसी के संचालन, निवेश, जोखिमांकन , सुशासन तथा हितधारकों के साथ सहभागिता के सभी क्षेत्रों में ईएसजी सिद्धांतों को समाहित करने हेतु निगम की व्यापक प्रतिबद्धताओं एवं मार्गदर्शक सिद्धांतों को अभिव्यक्त करती है।

2. ईएसजी विजन

पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता तथा नैतिक सुशासन के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित एक विश्वसनीय , निरंतर एवं सामाजिक रूप से उत्तरदायी जीवन बीमा प्रदाता के रूप में स्थापित होना , जो वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा दे तथा राष्ट्र के समावेशी एवं लचीले (Resilient) विकास में योगदान प्रदान करे।

3. उद्देश्य एवं लक्ष्य

यह ईएसजी नीति एलआईसी को निम्नलिखित क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु एक रणनीतिक रूपरेखा उपलब्ध कराती है :

- एलआईसी की रणनीति, निर्णय-निर्माण प्रक्रिया तथा व्यावसायिक आचरण में ईएसजी सिद्धांतों का समावेश करना।
- पर्यावरणीय, सामाजिक, सुशासन एवं जलवायु-संबंधी जोखिमों के प्रति संस्थागत लचीलापन (Resilience) सुदृढ़ करना।
- उत्तरदायी बीमा एवं निवेश को प्रोत्साहित करना तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देना।
- नीतियों, प्रणालियों, सुशासन तंत्र तथा सतत सुधार के माध्यम से ईएसजी के संरचित एवं प्रभावी एकीकरण को सुनिश्चित करना।
- नियामकीय आवश्यकताओं , राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा निरंतर विकसित हो रहे वैश्विक सतत विकास मानकों के अनुरूप समन्वय सुनिश्चित करना।

4. कार्यक्षेत्र एवं प्रयोज्यता

यह नीति भारत में एलआईसी के सभी परिचालनों एवं कार्यों पर लागू होगी, जिनमें जोखिमांकन, निवेश, जोखिम प्रबंधन, दावा, मानव संसाधन , क्रय (प्रोक्योरमेंट) , डिजिटल परिचालन तथा ग्राहक सहभागिता सम्मिलित हैं। यह नीति एलआईसी के कर्मचारियों, अभिकर्ताओं (एजेंटों) तथा निगम की व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े अन्य सभी संबंधित हितधारकों पर भी लागू होगी।

5. नियामकीय अनुरूपता

यह नीति निम्नलिखित के अनुरूप तैयार की गई है :

- भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं हेतु कॉर्पोरेट अभिशासन) विनियम, 2024
- भारत में लागू सभी प्रासंगिक कानून एवं विनियम

- आवश्यकता अनुसार वैश्विक सतत विकास सिद्धांत एवं रिपोर्टिंग रूपरेखा एं, जैसे ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (GRI), संयुक्त राष्ट्र के सतत बीमा सिद्धांत (UN Principles for Sustainable Insurance – UN PSI) तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत ईएसजी मानक

6. ईएसजी शासन व्य(वस्था।

एलआईसी, ईएसजी पहलों के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ शासन व्यषवस्थाक अपनाएगा। इसके अंतर्गत :

- **बोर्ड द्वारा पर्यवेक्षण** : निदेशक मंडल ईएसजी से संबंधित रणनीतिक निगरानी प्रदान करेगा तथा ईएसजी नीति का अनुमोदन करेगा।
- **ईएसजी समिति :** निदेशक मंडल स्तर की एक समिति ईएसजी रणनीति , प्रदर्शन, नियामकीय अनुपालन तथा प्रकटीकरणों की निगरानी करेगी।
- **प्रबंधन द्वारा कार्यान्वयन :** विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से गठित एक आंतरिक ईएसजी टीम , ईएसजी नीति के कार्यान्वयन का समन्वय करेगी , प्रमुख निष्पादन संकेतकों (KPIs) के सापेक्ष प्रगति की निगरानी करेगी तथा ईएसजी संबंधी रिपोर्टिंग में सहयोग प्रदान करेगी।

7. ईएसजी के स्तंोभ एवं रणनीतिक प्रतिबध्दनताएं

7.1 पर्यावरणीय उत्तएरदायित्वब

एलआईसी अपने पर्यावरणीय प्रभाव (Environmental Footprint) को कम करने तथा जलवायु संबंधी लचीलेपन (Climate Resilience) को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित के प्रति प्रतिबद्ध है :

- ऊर्जा दक्षता में सुधार करना , नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना तथा संसाधन-कुशल अवसंरचना (Infrastructure) को प्रोत्साहित करना
- सुव्यवस्थित कार्ययोजनाओं (Roadmaps) एवं पायलट पहलों के माध्यम से दीर्घकालिक पर्यावरणीय लक्ष्यों , जैसे शुद्ध-शून्य उत्सर्जन, जल संरक्षण एवं प्रबंधन तथा उत्तरदायी अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में क्रमिक रूप से कार्य करना।
- जलवायु संबंधी जोखिमों एवं अवसरों की पहचान करना , उनका आकलन करना तथा उन्हें उद्यम-स्तरीय जोखिम प्रबंधन, जोखिमांकन एवं निवेश संबंधी निर्णय-प्रक्रिया में समाहित करना।
- ऐसे पायलट परियोजनाओं एवं पहलों को समर्थन प्रदान करना , जो पर्यावरणीय प्रदर्शन तथा परिचालनगत लचीलेपन को सुदृढ़ बनाती हों।

7.2 सामाजिक उत्तरदायित्व

एलआईसी अपने ईएसजी दृष्टिकोण के केंद्र में लोगों को रखता है तथा निम्नलिखित के प्रति प्रतिबद्ध है :

- पारदर्शी, सुलभ एवं ग्राहक-केंद्रित बीमा समाधान तथा प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराना ।
- वित्तीय समावेशन, बीमा जागरूकता एवं सामाजिक सुरक्षा को प्रोत्साहित करना।

- अपने कार्यबल एवं मूल्य शृंखला में सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य परिस्थितियों , मानवाधिकारों, निष्पक्ष श्रम व्यवहार , विविधता, समानता तथा समावेशन को बढ़ावा देना।
- सामाजिक विषयों एवं ईएसजी जागरूकता से संबंधित प्रशिक्षण सहित सतत् अभ्यारसके माध्यम से कर्मचारियों एवं अभिकर्ताओं की क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण करना।
- सतत् एवं नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हुए आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं के साथ उत्तरदायित्वपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करना।
- संरचित सामुदायिक विकास पहलों के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक प्रभाव का सृजन करना।

.7.3 शासन व्यावस्थाध एवं नैतिक आचरण

एलआईसी कॉर्पोरेट सुशासन के उच्चतम मानकों का पालन करता है तथा निम्नलिखित के प्रति प्रतिबद्ध है :

- प्रयोज्यो कानूनों विनियमों एवं नैतिक मानकों के अनुरूप अपने व्यवसाय का संचालन करना।
- सुदृढ़ उद्यम-स्तरीय जोखिम प्रबंधन , आंतरिक नियंत्रण प्रणाली , व्यवसाय निरंतरता तंत्र तथा लेखा-परीक्षा व्यवस्था को बनाए रखना।
- निदेशक आचार संहिता , भ्रष्टाचार-विरोधी नीति तथा अन्य सुव्यवस्थित शासन नीतियों के माध्यम से पारदर्शिता , जवाबदेही एवं नैतिक आचरण को बढ़ावा देना।
- सुदृढ़ डेटा संरक्षण, डेटा गोपनीयता, गोपनीयता बनाए रखने तथा साइबर सुरक्षा संबंधी उपायों के माध्यम से ग्राहकों एवं अन्य हितधारकों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- ईएसजी रिपोर्ट तथा वार्षिक प्रतिवेदन के भाग के रूप में बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का समयबद्ध एवं यथार्थ प्रकटीकरण सुनिश्चित करना।

8. ईएसजी का एकीकरण एवं सक्षमीकरण

इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एलआईसी निम्नलिखित के प्रति प्रतिबद्ध है :

- निवेश एवं जोखिमांकन प्रक्रियाओं में ईएसजी एकीकरण को विकसित एवं सुदृढ़ करना , जिसके अंतर्गत संबंधित टीमों हेतु मार्गदर्शन, उपकरण तथा क्षमता निर्माण का समावेश है ।
- एनजीआरबीसी सिद्धांतों तथा नियामकीय अपेक्षाओं के अनुरूप ईएसजी संबंधी नीतियाँ, दिशानिर्देश एवं शासन चार्टर स्थापित करना।
- ईएसजी जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी तथा लेखा-परीक्षा के लिए प्रभावी आंतरिक तंत्र कार्यान्वितकरना।
- ईएसजी से संबंधित डेटा प्रणालियाँ , डैशबोर्ड तथा रिपोर्टिंग तंत्र विकसित करना , ताकि निगरानी, प्रकटीकरण तथा नियामकों, रेटिंग एजेंसियों एवं अन्य हितधारकों के साथ संवाद सुनिश्चित किया जा सके।
- परिणामों का मूल्यांकन करने, रणनीतियों को परिष्कृत करने तथा समय के साथ उनकी प्रभावशीलता में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए ईएसजी प्रभाव मूल्यांकन करना।

- महत्वपूर्ण ईएसजी जोखिमों, अवसरों एवं प्राथमिकताओं की पहचान हेतु हितधारकों का मानचित्रण एवं सहभागिता करना।
- वैश्विक मानकों एवं राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक ईएसजी रणनीतियों का निर्माण करना।

9. प्रदर्शन की निगरानी एवं प्रकटीकरण

एलआईसी, पहचाने गए प्रमुख फोकस क्षेत्रों के अनुरूप निर्धारित मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) के माध्यम से ईएसजी प्रदर्शन की निगरानी करती है। प्रबंधन तथा निदेशक मंडल स्तर की ईएसजी समिति द्वारा ईएसजी प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। ईएसजी से संबंधित प्रकटीकरण प्रयोज्यर नियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप किए जाते हैं , जिनमें बीआरएसआर तथा अन्य अनिवार्य प्रतिवेदन शामिल हैं।

10. क्षमता निर्माण एवं जागरूकता

एलआईसी, प्रशिक्षण, संप्रेषण तथा कार्यात्मक एवं नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में ईएसजी सिद्धांतों के समावेशन के माध्यम से पूरे संगठन में ईएसजी के प्रति जागरूकता एवं क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करती है।

11. समीक्षा एवं संशोधन

इस ईएसजी नीति की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाएगी तथा बदलती नियामकीय आवश्यकताओं , हितधारकों की अपेक्षाओं एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप आवश्यकतानुसार इसमें अद्यतन किया जाएगा और यह नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होगी।

12. विभाग-वार KPIs तथा 10 वर्षों के लिए KPI प्राप्ति हेतु कार्य योजना

शुद्ध-शून्य परिचालन की दिशा में अग्रसर होने के उद्देश्य से निगम ने ईएसजी के प्रत्येक स्तंभ के अंतर्गत अपने परिचालन में ईएसजी सिद्धांतों को समाहित करने के लिए अल्पकालिक (0–2 वर्ष), मध्यमकालिक (3–5 वर्ष) तथा दीर्घकालिक (6–10 वर्ष) लक्ष्य निम्नाोनुसारनिर्धारित किए हैं।

इन प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की समीक्षा, ट्रैकिंग एवं निगरानी डेटा प्रविष्टि हेतु उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। जिन केपीआईज का ट्रैकिंग ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं किया जाता है , उनके प्रभावी ट्रैकिंग एवं समयबद्ध समीक्षा हेतु एक्सेल-आधारित टेम्प्लेट्स तैयार किए गए हैं।

ईएसजी रणनीति लक्ष्य– पर्यावरण :

उत्तरदायित्व	केपीआई	विषय	कार्य योजना (0-2 वर्ष)	कार्य योजना (3-5 वर्ष)	कार्य योजना (6-10 वर्ष)
अभियांत्रिकी	शुद्ध शून्य की दिशा में अग्रसर होना	उत्सर्जन	कार्यालयों में वास्तविक उत्सर्जन के आधार पर स्कोप 1 एवं स्कोप 2 उत्सर्जनों का आधारभूत स्तर स्थापित करना तथा शुद्ध-शून्य हेतु रोडमैप तैयार करना।	ऊर्जा लेखा-परीक्षण की अनुशंसाओं, नेट-ज़ीरो रोडमैप के अंतर्गत हस्तक्षेपों तथा ऊर्जा संरक्षण उपायों के निरंतर उपयोग के माध्यम से स्कोप 1 एवं स्कोप 2 उत्सर्जनों में मापनीय कमी प्राप्त	वर्ष 2036 (दसवें वर्ष) तक आधारभूत उत्सर्जन की तुलना में 70% उत्सर्जन कमी प्राप्त करना तथा वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य परिचालन प्राप्त करने

उत्तरदायित्व	केपीआई	विषय	कार्य योजना (0-2 वर्ष)	कार्य योजना (3-5 वर्ष)	कार्य योजना (6-10 वर्ष)
				करना। छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना तथा जहाँ उपलब्ध हो, हरित विद्युत (Green Power) की खरीद करना। वर्ष 2030 (पाँचवें वर्ष) तक आधारभूत उत्सर्जन की तुलना में 40% उत्सर्जन कमी प्राप्त करना।	की दिशा में अग्रसर होना।
अभियांत्रिकी, कार्यालय सेवाएँ और निवेश	शुद्ध-शून्य की दिशा में अग्रसर होना	उत्सर्जन	स्कोप 3 उत्सर्जनों की गणना हेतु प्रक्रियाएँ स्थापित करना तथा BRSR में स्कोप 3 से संबंधित आँकड़ों का प्रकटीकरण करना। वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए BRSR में स्कोप 3 श्रेणी 6 -व्यावसायिक यात्रा तथा स्कोप 3 श्रेणी – 7 कर्मचारी आवागमन का प्रकटीकरण करना।	BRSR में स्कोप 3 की निम्नलिखित श्रेणियों को सम्मिलित करना तथा उनकी गणना एवं प्रकटीकरण हेतु समयबद्ध प्रक्रिया विकसित करना श्रेणी 1 -वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद, श्रेणी 2 -पूंजीगत वस्तुएँ, श्रेणी 15 -वित्तपोषित उत्सर्जन (निवेश) तथा पूर्ववत श्रेणी 6 -व्यावसायिक यात्रा एवं श्रेणी 7 -कर्मचारी आवागमन अभिकर्ताओं द्वारा की गई व्यावसायिक यात्राओं को स्कोप 3 श्रेणी 6 में सम्मिलित करना	स्कोप 3 की श्रेणियों 1, 2, 6, 7 एवं 15 के अंतर्गत उत्सर्जनों का सतत ट्रैकिंग एवं निगरानी करना।
अभियांत्रिकी	शुद्ध-शून्य की दिशा में अग्रसर होना	उत्सर्जन	प्रमुख क्षेत्रीय एवं मंडल कार्यालयों के लिए ऊर्जा लेखा-परीक्षण कार्यक्रम लागू करना तथा बीईई से प्रमाणित तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा ऊर्जा लेखा-परीक्षण कराना। दिसंबर 2026 तक सभी स्वामित्वाधीन एवं पट्टे पर लिए गए भवनों का ऊर्जा लेखा-परीक्षण पूरा करना। ऊर्जा लेखा-परीक्षण के निष्कर्षों पर सुधारात्मक प्रतिवेदन तैयार करना तथा उन निष्कर्षों को उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों के रूप में अपनाना।	ऊर्जा लेखा-परीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों का सतत ट्रैकिंग एवं निगरानी करना तथा लेखा-परीक्षण टिप्पणियों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना।	ऊर्जा लेखा-परीक्षण के निष्कर्षों का निरंतर ट्रैकिंग एवं निगरानी जारी रखना तथा सभी लेखा-परीक्षण टिप्पणियों का पूर्ण अनुपालन एवं समापन सुनिश्चित करना।

उत्तरदायित्व	केपीआई	विषय	कार्य योजना (0-2 वर्ष)	कार्य योजना (3-5 वर्ष)	कार्य योजना (6-10 वर्ष)
अभियांत्रिकी	शुद्ध-शून्य की दिशा में अग्रसर होना	उत्सर्जन	ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु : एलईडी प्रकाश व्यवस्था, मोशन सेंसर तथा ऊर्जा-कुशल उपकरणों के उपयोग को बढ़ाया जाए। सभी कार्यालयों में प्रकाश व्यवस्था के लिए 100% मोशन सेंसर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।	ऊर्जा खपत में कमी लाने हेतु की गई पहलों की निरंतर ट्रैकिंग एवं निगरानी की जाए। प्रकाश व्यवस्था के लिए मोशन सेंसर का 100% उपयोग/कवरेज बनाए रखा जाए।	ऊर्जा खपत में कमी लाने हेतु की गई पहलों की ट्रैकिंग एवं निगरानी जारी रखी जाए। प्रकाश व्यवस्था के लिए मोशन सेंसर का 100% उपयोग/कवरेज बनाए रखा जाए।
कार्यालय सेवाएँ	शुद्ध-शून्य की दिशा में अग्रसर होना	उत्सर्जन	उत्सर्जन में कमी लाने के लिए आधिकारिक कार्यों हेतु यथासंभव इलेक्ट्रिक वाहनों को किराये पर लिया जाए। इसके अतिरिक्त , हमारे विपणन (मार्केटिंग) एवं प्रशासनिक कर्मचारियों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा रहा है। किराये पर लिए जाने वाले सभी वाहनों में से न्यूनतम 20% इलेक्ट्रिक वाहन हों। ग्रामीण भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए , अंतरिम उपाय के रूप में अधिकतम संख्या में सीएनजी/एलएनजी वाहनों को किराये पर लेने तथा कर्मचारियों के लिए सीएनजी/एलएनजी स्टाफ कारों की खरीद को प्राथमिकता दी जाए। हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान स्टाफ कारों में से कम-से-कम 20% को इलेक्ट्रिक वाहनों अथवा अन्य नई हरित प्रौद्योगिकियों वाले वाहनों से प्रतिस्थापित किया जाए।	किराये पर लिए जाने वाले सभी वाहनों में से न्यूनतम 40% इलेक्ट्रिक वाहन हों। ग्रामीण भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अंतरिम व्यवस्था के रूप में , अधिकतम संख्या में सीएनजी/एलएनजी वाहनों को किराये पर लेने तथा कर्मचारियों के लिए सीएनजी/एलएनजी स्टाफ कारों की खरीद को प्राथमिकता दी जाए। हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान स्टाफ कारों में से 50% को इलेक्ट्रिक वाहनों अथवा अन्य नई हरित प्रौद्योगिकी वाले वाहनों से प्रतिस्थापित किया जाए।	किराये पर लिए जाने वाले सभी वाहनों में से न्यूनतम 60% इलेक्ट्रिक वाहन हों। ग्रामीण भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अंतरिम व्यवस्था के रूप में , अधिकतम संख्या में सीएनजी/एलएनजी वाहनों को किराये पर लेने तथा कर्मचारियों के लिए सीएनजी/एलएनजी स्टाफ कारों की खरीद को प्राथमिकता दी जाए। हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान स्टाफ कारों में से 80% को इलेक्ट्रिक वाहनों अथवा अन्य नई हरित प्रौद्योगिकी वाले वाहनों से प्रतिस्थापित किया जाए।

अभियांत्रिकी	शुद्ध-शून्य की दिशा में अग्रसर होना	उत्सर्जन	स्वामित्व वाले सभी वाणिज्यिक कार्यालय भवनों में पूर्ण क्षमता प्राप्त होने तक प्रतिवर्ष 2000 KWp क्षमता के सौर पैनलों की स्थापना करके नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की क्षमता में वृद्धि की जाए।	यह सुनिश्चित किया जाए कि कुल ऊर्जा आवश्यकता का कम-से-कम 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (जैसे रूफटॉप सौर ऊर्जा , नेट मीटरिंग तथा जहाँ व्यवहार्य हो वहाँ नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत क्रय समझौते (Power Purchase Agreement – PPA)) के माध्यम से पूरा किया जाए।	यह सुनिश्चित किया जाए कि कुल ऊर्जा आवश्यकता का कम-से-कम 80% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (जैसे रूफटॉप सौर ऊर्जा, नेट मीटरिंग तथा जहाँ व्यवहार्य हो वहाँ नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत क्रय समझौतों (Power Purchase Agreements – PPAs)) के माध्यम से पूरा किया जाए।
अभियांत्रिकी	शुद्ध-शून्य की दिशा में अग्रसर होना	उत्सर्जन	अधिकतम स्थानों पर स्थित वर्तमान वाणिज्यिक कार्यालय भवनों के लिए तथा सभी नव-निर्मित वाणिज्यिक कार्यालय भवनों के लिए न्यूनतम 3-स्टार रेटिंग का ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया निरंतर जारी रखी जाए।	जहाँ भी व्यवहार्य हो , सभी भवनों के लिए ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन प्राप्त किया जाए।	जहाँ भी व्यवहार्य हो , सभी भवनों के लिए ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन प्राप्त किया जाए।
अभियांत्रिकी और कार्यालय सेवाएँ	शुद्ध-शून्य की दिशा में अग्रसर होना	उत्सर्जन	उत्सर्जन तीव्रता (स्कोप 1 + स्कोप 2) का आकलन/रिकॉर्ड तैयार किया जाए।	बेसलाइन (मूल आधार वर्ष) की तुलना में उत्सर्जन तीव्रता में 10% की कमी की जाए। लक्ष्य – 1.089 मीट्रिक टन/ कर्मचारी	बेसलाइन (मूल आधार वर्ष) की तुलना में उत्सर्जन तीव्रता में 50% की कमी की जाए। लक्ष्य – 0.605 मीट्रिक टन/ कर्मचारी
नव व्यवसाय और पुनर्बीमा	कागज रहित संचालन	संसाधन दक्षता	सहमति-आधारित इलेक्ट्रॉनिक बीमा खाता खोलकर ई-बीमा पॉलिसियों के बढ़ते उपयोग के माध्यम से कागज के उपयोग में कमी लाई जाए।	अधिकांश बीमा पॉलिसियों को डिजिटल माध्यम से जारी करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाए।	90% कागज रहित संचालन सुनिश्चित किया जाए।
नव व्यवसाय और पुनर्बीमा	कागज रहित संचालन	संसाधन दक्षता	डिजिटल बिक्री के माध्यम से कागज के उपयोग में कमी लाई जाए। • आनंदा ऐप के उपयोग द्वारा डिजिटल बिक्री में सुधार किया जाए।	1.कागज रहित संचालन के लिए 10 आदर्श कार्यालयों की पहचान कर उन्हें विकसित किया जाए। 2. शेष कार्यालयों के लिए : (क) टियर-I एवं टियर-II शहरों में स्थित एलआईसी कार्यालयों में 50% कागज रहित संचालन का लक्ष्य प्राप्त किया जाए।	

				(ख) टियर-III, टियर-IV तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित एलआईसी कार्यालयों में 30% कागज रहित संचालन का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। 50% कागज रहित ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया का लक्ष्य प्राप्त किया जाए।	
डिजिटल विपणन	कागज रहित संचालन	संसाधन दक्षता	डिजिटल बिक्री के माध्यम से कागज के उपयोग में कमी लाई जाए। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से 100% बिक्री सुनिश्चित की जाए।	डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से 100% बिक्री को बनाए रखा जाए।	
कार्मिक, कार्यालय सेवाएँ, आईटी / डीटी	कागज रहित संचालन	संसाधन दक्षता	डिजिटल सेवाओं के माध्यम से कागज के उपयोग में कमी लाई जाए। •DIVE एवं HRMS परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाए।	यह सुनिश्चित किया जाए कि HRMS से संबंधित 100% कार्य ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हों तथा पूरी तरह से कागज रहित हों।	
आईटी/डीटी	कागज़ के उपयोग में कमी।	संसाधन दक्षता	अनिवार्य डबल-साइड(दोनों तरफ) प्रिंटिंग के लिए आईटी उपकरणों की खरीद एवं कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाए।	50% हार्डवेयर परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। 10% कार्यक्रम परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त किया जाए।	
अभियांत्रिकी	जल तटस्थता की दिशा में आगे बढ़ना	जल	जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम स्थानों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जाए , ताकि भू-जल स्तर में कमी को रोका जा सके। • जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाए। इससे जल संरक्षण में वृद्धि के रूप में इसका प्रभाव दिखाई देगा।	जल प्रबंधन एवं जल दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम स्थानों पर जल मीटर स्थापित किए जाएं तथा स्वसर्णजयंति फाऊंडेशन के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से जल दक्षता परियोजनाओं का समर्थन किया जाए।	बेसलाइन (मूल आधार वर्ष) की तुलना में जल खपत में 30% की कमी प्राप्त की जाए।
कार्यालय सेवाएँ और अभियांत्रिकी	जल तटस्थता की ओर बढ़ें	जल	जल संरक्षण जल खपत में कमी लाने के लिए 10 आदर्श कार्यालयों की पहचान कर उन्हें विकसित किया जाए।	टियर-I एवं टियर-II शहरों में स्थित एलआईसी कार्यालयों में जल संरक्षण प्रक्रिया लागू की जाए , ताकि जल खपत में 20% की कमी का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।	टियर-III, टियर-IV एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित एलआईसी कार्यालयों में जल संरक्षण प्रक्रिया लागू की जाए तथा टियर-I एवं टियर- II शहरों के एलआईसी कार्यालयों में जल संरक्षण प्रक्रिया को जारी रखते हुए जल खपत में 30% की कमी का लक्ष्य प्राप्त किया

					जाए।
कार्यालय सेवाएँ और अभियांत्रिकी	जल तटस्थता की ओर बढ़ें	जल	जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में अधिकतम स्थानों पर जल टैंकों के लिए सेंसर तथा जल-कुशल उपकरणों (Water Efficient Fixtures) की स्थापना की प्रक्रिया निरंतर जारी रखी जाए।		बेसलाइन (मूल आधार वर्ष) की तुलना में जल खपत में 30% की कमी प्राप्त की जाए।
कार्यालय सेवाएँ	जल तटस्थता की ओर बढ़ें	जल	स्थानीय प्राधिकरणों के निर्देशों के अनुसार सभी कार्यालयों में जल मीटर स्थापित किए जाएँ।		
अभियांत्रिकी	जल तटस्थता की ओर बढ़ें	जल	सभी नव-निर्मित वाणिज्यिक भवनों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएँ। जहाँ भी लागू हो , उपचारित जल का उपयोग बागवानी कार्यों के लिए किया जाए अथवा अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण हेतु इसे नगर निकायों को पुनः भेजा जाए।	वाणिज्यिक भवनों में वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की स्थापना की प्रक्रिया जारी रखी जाए।	
कार्यालय सेवाएँ	प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन	अपशिष्ट	नियामक अनुपालन के एक भाग के रूप में अपशिष्ट प्रबंधन की मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर उसे लागू किया जाए।	निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (Construction & Demolition Waste), खाद्य अपशिष्ट (Food Waste) तथा गैर-खतरनाक अपशिष्ट (Non-Hazardous Waste) सहित सभी प्रकार के अपशिष्ट के लिए तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार , सभी कार्यालयों में व्यापक अपशिष्ट ट्रैकिंग प्रणाली एवं अपशिष्ट पृथक्करण प्रक्रिया लागू की जाए तथा उचित अभिलेख का रखरखाव किया जाए। यह प्रक्रिया निरंतर जारी रखी जाए। अपशिष्ट उत्पादन एवं निपटान से संबंधित आंकड़ों का ट्रैकिंग मॉड्यूल के माध्यम से किया जाए।	सतत प्रक्रिया के रूप में व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन जिसमें स्रोत पर कम अपशिष्ट उत्पादन, रिकॉर्ड रखरखाव, पुनर्चक्रण/ पुन: उपयोग के लिए अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से सुरक्षित निपटान शामिल है। मॉड्यूल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन और निपटान के डेटा को ट्रैक किया जाएगा।
सभी कर्मचारी	प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन	अपशिष्ट	स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट का स्रोत पर ही पृथक्करण सुनिश्चित किया जाए। प्रति कर्मचारी अपशिष्ट तीव्रता (Waste Intensity) का आकलन/ रिकॉर्ड तैयार किया जाए।		
कार्यालय सेवाएँ	प्रबंधन प्रणालियां	पर्यावरण प्रबंधन	केन्द्रीय कार्यालय से ISO 14001 सर्टिफ़िकेशन लिया जाए।	मौजूदा प्रमाणन को बनाए रखा जाए तथा इसे क्षेत्रीय कार्यालय स्तर तक प्राप्त किया जाए।	मौजूदा प्रमाणन को बनाए रखा जाए तथा इसे मंडल कार्यालय स्तर तक प्राप्त किया जाए।

(ii) पर्यावरण सामाजिक सुशासन रणनीति के लक्ष्य– सामाजिक :

उत्तांरदायित्वव	केपीआई	विषय	कार्य योजना (0-2 वर्ष)	कार्य योजना (3-5 वर्ष)	कार्य योजना (6-10 वर्ष)
ग्राहक संबंध प्रबंधन	प्रभावी शिकायत निवारण	ग्राहक	ग्राहक प्रतिक्रिया का विश्लेषण कर ग्राहक संतुष्टि स्कोर (C-SAT) निर्धारित करना तथा बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट (BRSR) में C-SAT स्कोर का प्रकटीकरण प्रारंभ करना।	वर्तमान शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा कर नई समय-सीमाएँ निर्धारित करना तथा उनकी नियमित निगरानी के माध्यम से शिकायतों के निस्तारण की समयबद्धता में सुधार करना।	शिकायत निवारण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में शिकायतों के निस्तारण की समयावधि की नियमित समीक्षा एवं उसमें निरंतर सुधार सुनिश्चित करना।
मानव संसाधन विकास	प्रभावी प्रशिक्षण	कर्मचारी	पर्यावरण सामाजिक सुशासन जागरूकता, नैतिकता, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम , कार्यस्थल आचरण आदि विषयों पर नियमित प्रशिक्षण आयोजित करना , ताकि सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति का विकास हो सके। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को ऑनलाइन सहभागिता प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।	प्रत्येक वर्ष संगठन के 100% कर्मचारियों को पर्यावरण सामाजिक सुशासन जागरूकता, नैतिकता, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम , कार्यस्थल आचरण आदि विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा अथवा उन्हें इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से नामांकित किया जाए	संगठन के 100%कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष ईएसजी जागरूकता, नैतिकता, POSH, कार्यस्थल आचरण आदि विषयों पर पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए
कार्मिक	कर्मचारी संतुष्टि	कर्मचारी	कर्मचारी संतुष्टि को सतत प्रक्रिया के रूप में मापने हेतु कर्मचारी संतुष्टि स्कोर (E-SAT Score) की शुरुआत करना।	कर्मचारी संतुष्टि स्कोर (E-SAT Score) में सुधार करना।	कर्मचारी संतुष्टि स्कोर (E-SAT Score) में निरंतर सुधार बनाए रखना।
कार्यालय सेवाएँ	विक्रेता प्रबंधन	विक्रेता और आपूर्तिकर्ता	आपूर्तिकर्ता/विक्रेता आचार संहिता का विकास एवं कार्यान्वयन करना तथा सभी कार्यालयों द्वारा उसका अनुपालन सुनिश्चित करना	सभी कार्यालयों में वस्तुओं एवं सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं के चयन हेतु ईएसजी स्क्रीनिंग मानदंड लागू करना	आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं के मूल्यांकन एवं आकलन के लिए ईएसजी मूल्यांकन रूपरेखा विकसित करना
कार्यालय सेवाएँ	विक्रेता प्रबंधन	विक्रेता और आपूर्तिकर्ता	सभी कार्यालयों में आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं के लिए आचार संहिता एवं नैतिकता , अनुपालन, जोखिम आकलन एवं न्यूनीकरण, ईएसजी, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण आदि विषयों पर सतत प्रक्रिया के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित एवं प्रारंभ करना ।	सभी कार्यालयों में आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं के लिए आचार संहिता एवं नैतिकता , ईएसजी, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण आदि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निरंतर संचालन करना। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत कम से कम 50% आपूर्तिकर्ताओं/ विक्रेताओं को सम्मिलित करना	सभी कार्यालयों में आपूर्तिकर्ता/विक्रेता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आचार संहिता एवं नैतिकता , पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण आदि विषयों पर निरंतर जारी रखा जाए । प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत 90% से अधिक आपूर्तिकर्ताओं/ विक्रेताओं को शामिल किया

उत्तररदायित्वि	केपीआई	विषय	कार्य योजना (0-2 वर्ष)	कार्य योजना (3-5 वर्ष)	कार्य योजना (6-10 वर्ष)
					जाए।
स्वार्णजयंती फाउंडेशन/ विपणन	समुदाय और सामाजिक विकास	समुदाय और सामाजिक विकास	स्वार्णजयंतीफाउंडेशन के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से स्वास्थ्य , शिक्षा और वित्तीय साक्षरता के क्षेत्रों में सामुदायिक विकास प्रयासों (CDE) को जारी रखा जाए।	सामुदायिक विकास पहलों के सामाजिक प्रभाव की रिपोर्ट तैयार कर उसे प्रकाशित किया जाए।	स्वउर्णजयंती फाउंडेशन के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय साक्षरता के क्षेत्रों में स्वैच्छिक रूप से सामुदायिक विकास प्रयासों को जारी रखा जाए। सामुदायिक विकास पहलों के सामाजिक प्रभाव की रिपोर्ट तैयार कर उसे प्रकाशित किया जाए।
निगमित संप्रेषण/ विपणन और पेन्शंन एवं समूह योजना	वित्तीय समावेशन में सुधार	समुदाय और सामाजिक विकास	सोशल मीडिया के माध्यम से तथा जागरूकता शिविरों का आयोजन कर वित्तीय समावेशन संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाए , ताकि इसकी पहुँच को बेहतर बनाया जा सके।	वित्तीय समावेशन संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों को सोशल मीडिया और जागरूकता शिविरों के माध्यम से सुदृढ़ करने के प्रयासों को निरंतर जारी रखा जाए , ताकि इसकी पहुँच को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।	वित्तीय समावेशन संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों को सोशल मीडिया के माध्यम से तथा जागरूकता शिविरों का आयोजन कर और अधिक सुदृढ़ करने के प्रयासों को जारी रखा जाए, ताकि पहुंच में सुधार किया जा सके।
कार्यालय सेवा	आईएसओ प्रमाणन	स्वास्थ्य और सुरक्षा	ISO 45001 प्रमाणन प्राप्त किया जाए।	मौजूदा प्रमाणन को बनाए रखा जाए और इसे क्षेत्रीय कार्यालय स्तर तक प्राप्त किया जाए।	मौजूदा प्रमाणन को बनाए रखा जाए और इसे मंडल स्तर तक प्राप्त किया जाए।
कार्मिक एवं अभियांत्रिकी	विविधता, समानता और समावेशन	मानव संसाधन/ कार्मिक	विविधता, समानता एवं समावेशन (DEI) नीति तैयार की जाए। कुल एलआईसी भवनों में से ऐसे भवनों की संख्या बताई जाए जिनमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रैंप की सुविधा उपलब्ध है।	सभी संभावित स्वामित्व वाले एलआईसी भवनों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रैंप/वैकल्पिक पहुँच व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रैंप/वैकल्पिक पहुँच व्यवस्थाओं की निगरानी एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जाए।

(iii) ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन) रणनीति, लक्ष्य एवं शासन व्यवस्था:

उत्तांरदायित्वए	केपीआई	विषय	कार्य योजना (0-2 वर्ष)	कार्य योजना (3-5 वर्ष)	कार्य योजना (6-10 वर्ष)
सभी विभाग	नैतिक संचालन में सुधार	वित्तीय नैतिकता एवं अनुपालन	आंतरिक नियंत्रणों तथा अनुपालन निगरानी को प्रशिक्षण एवं आंतरिक लेखा परीक्षणों के माध्यम से सतत प्रक्रिया के रूप	प्रशिक्षण एवं आंतरिक लेखा परीक्षणों के माध्यम से आंतरिक नियंत्रणों तथा अनुपालन निगरानी को और अधिक सुदृढ़ करना।	प्रशिक्षण एवं आंतरिक लेखा परीक्षणों के माध्यम से आंतरिक नियंत्रणों तथा अनुपालन निगरानी को और

उत्तारदायित्व	केपीआई	विषय	कार्य योजना (0-2 वर्ष)	कार्य योजना (3-5 वर्ष)	कार्य योजना (6-10 वर्ष)
			में सुदृढ़ करना। आंतरिक लेखा परीक्षण में 90% कार्यालयों को "अति उत्तम" अथवा उससे उच्च श्रेणी प्राप्त करना।	आंतरिक लेखा परीक्षण में 95% कार्यालयों को "अति उत्तम" अथवा उससे उच्च श्रेणी प्राप्त कराना।	अधिक सुदृढ़ करना। आंतरिक लेखा परीक्षण में 98% कार्यालयों को "अति उत्तम" अथवा उससे उच्च श्रेणी प्राप्त कराना।
निवेश	उत्तशरदायी निवेश सुनिश्चिनत करना	उत्तशरदायी निवेश	समय-समय पर भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी प्रावधानों के अनुरूप निवेश विश्लेषण एवं निवेश निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में ईएसजी कारकों का समावेश करते हुए उत्तरदायी निवेश सिद्धांतों को लागू करना।	समय-समय पर भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी प्रावधानों के अनुरूप निवेश विश्लेषण एवं निवेश निर्णय-निर्माण में ईएसजी कारकों का समावेश करते हुए उत्तरदायी निवेश सिद्धांतों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।	समय-समय पर भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी प्रावधानों के अनुरूप निवेश विश्लेषण एवं निवेश संबंधी निर्णय-निर्माण में ईएसजी कारकों का समावेश करते हुए उत्तरदायी निवेश सिद्धांतों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।
निवेश	उत्तशरदायी निवेश सुनिश्चिनत करना	उत्तशरदायी निवेश	कुल ग्रीन बॉण्ड निवेश में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि। आधार वर्ष (बेसलाइन) की तुलना में ग्रीन बॉण्ड निवेश में 20% की वृद्धि करना।	आधार वर्ष (बेसलाइन) की तुलना में ग्रीन बॉण्ड निवेश में 50% की वृद्धि करना।	आधार वर्ष (बेसलाइन) की तुलना में ग्रीन बॉण्ड निवेश में 80% की वृद्धि करना।
निवेश	उत्तशरदायी निवेश सुनिश्चिनत करना	उत्तशरदायी निवेश	हरित हाइड्रोजन जैसी नई हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश करना।	भविष्य में विकसित होने वाली नई हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश की संभावनाओं का अन्वेषण करना।	भविष्य में विकसित होने वाली नई हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश की संभावनाओं का अन्वेषण करना।
उद्यम जोखिम प्रबन्धोन/ साइबर सुरक्षा विभाग	डेटा संरक्षण प्रणालियों में सुधार	डेटा संरक्षण प्रणालियाँ	हितधारकों के मध्य विश्वास उत्पन्न करने के लिए ISO 27001 प्रमाणन प्राप्त करना।	मौजूदा प्रमाणन को बनाए रखना	मौजूदा प्रमाणन को बनाए रखना।
उद्यम जोखिम प्रबन्धोन/ साइबर सुरक्षा विभाग	डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करना	डेटा गोपनीयता	डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 के प्रावधानों का कार्यान्वयन करते हुए उनका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना।	डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 के प्रावधानों के अनुरूप अनुपालन आवश्यकताओं की ट्रैकिंग एवं उनका पालन सुनिश्चित करना।	डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 के प्रावधानों के अनुरूप अनुपालन आवश्यकताओं की ट्रैकिंग एवं उनका पालन सुनिश्चित करना।
कार्यालय सेवाएँ	फ्रेमवर्क संरेखण में सुधार	फ़्रेमवर्क	जलवायु जोखिम प्रबंधन रूपरेखा (CRMF) का निर्माण करना और इसकी वार्षिक समीक्षा सुनिश्चित करना।	जलवायु जोखिम के प्रभाव का आकलन करना, केपीआई की प्रगति की समीक्षा करना , आवश्यकतानुसार सुधारात्मक	निवेश संबंधी निर्णय-निर्माण में जलवायु जोखिम संबंधी पहलुओं को समाहित करना।

उत्तBरदायित्व।	केपीआई	विषय	कार्य योजना (0-2 वर्ष)	कार्य योजना (3-5 वर्ष)	कार्य योजना (6-10 वर्ष)
				उपाय करना तथा रिपोर्ट तैयार करना।	
कार्यालय सेवाएँ	ढाँचे के अनुरूप बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना।	ढांचा	जलवायु जोखिम प्रबंधन रूपरेखा (CRMF) का निर्माण करना और इसकी वार्षिक समीक्षा सुनिश्चित करना।	ESG प्रभाव आकलन करना तथा ESG रूपरेखा में निर्धारित प्रमुख फोकस क्षेत्रों की समीक्षा करना , जहाँ आवश्यक हो वहाँ सुधारात्मक कार्रवाई करना और रिपोर्ट तैयार करना।	ESG प्रभाव आकलन करना तथा ESG रूपरेखा में निर्धारित प्रमुख फोकस क्षेत्रों की समीक्षा करना , जहाँ आवश्यक हो वहाँ सुधारात्मक कार्रवाई करना और रिपोर्ट तैयार करना।
कार्यालय सेवाएँ	ढाँचे के अनुरूप बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना।	ढांचा	ESG संबंधी दृष्टिकोण पत्र, ESG नीति एवं सततता रिपोर्ट का निर्माण करना तथा उनकी वार्षिक समीक्षा सुनिश्चित करना।	प्रभाव आकलन करना तथा केपीआई और फोकस क्षेत्रों की समीक्षा करना एवं जहाँ आवश्यक हो वहाँ सुधारात्मक कार्रवाई करना।	प्रभाव आकलन करना तथा केपीआई और फोकस क्षेत्रों की समीक्षा करना एवं जहाँ आवश्यक हो वहाँ सुधारात्मक कार्रवाई करना।

.13. निष्कर्ष

इस ईएसजी नीति को अपनाते हुए , भारतीय जीवन बीमा निगम भारत के समग्र सततता लक्ष्यों में योगदान देने वाली उत्तरदायी, नैतिक एवं भविष्य के लिए तैयार व्यावसायिक कार्यप्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दृढ़ करता है। स्पष्ट रूप से परिभाषित पर्यावरणीय , सामाजिक एवं शासन स्तंभों द्वारा निर्देशित होकर , निगम सभी परिचालनों , निवेशों एवं हितधारकों के साथ अंतःक्रियाओं में ईएसजी संबंधी विचारों को समाहित करने का प्रयास करता है । यह नीति मापनीय केपीआईज, सुदृढ़ शासन तंत्र, विनियामक अनुरूपता तथा निरंतर क्षमता निर्माण द्वारा समर्थित अल्पकालिक, मध्यमकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों की एक संरचित रूपरेखा प्रस्तुत करती है। जलवायु कार्रवाई एवं संसाधन दक्षता से लेकर वित्तीय समावेशन , नैतिक आचरण तथा सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन तक के निरंतर प्रयासों के माध्यम से एलआईसी अपनी लचीलापन क्षमता को सुदृढ़ करने, हितधारकों के विश्वास को बढ़ाने तथा एक विश्वसनीय , सतत एवं सामाजिक रूप से उत्तरदायी जीवन बीमाकर्ता बनने के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। यह नीति एक गतिशील रूपरेखा के रूप में कार्य करती है , जो उभरती हुई विनियामक आवश्यकताओं, वैश्विक मानकों एवं हितधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित होती रहेगी , जिससे भारतीय जीवन बीमा निगम के ईएसजी प्रदर्शन में निरंतर सुधार एवं दीर्घकालिक मूल्य सृजन सुनिश्चित हो सके।